(५०)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3453–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–9–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर जिला उज्जैन, प्रकरण कमांक 3/अपील/2015–16.

.....

सजनसिंह पिता श्री किशोरीलालजी
निवासी ग्राम मनियावदा तहसील बडनगर
जिला उज्जैन

..... आवेदक

विरूद्ध

1–अजय पिता श्री ओमप्रकाश शर्मा
निवासी 36 हेप्पी विला कालोनी धार म0प्र0
2–श्रीमती मीना पति राजेशजी तिवारी
निवासी 18 मित्र नगर पुलिस कॉलोनी नानाखेडा
उज्जैन

.....अनावेदकगण

श्री एम0एल0पाठक, अभिभाषक– आवेदक
श्री आर0सी0मूणत, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 24/अ–6/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 12–8–2004 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी दिनांक 27–9–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर अपील को समय सीमा में मान्य कर गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 5 का आवेदन पत्र उदारतापूर्वक स्वीकार करने में क्षेत्राधिकार का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अवधि विधान को एक–एक दिन स्पष्ट करना पडता है । अनावेदक के द्वारा आवेदन पत्र में ऐसा कोई सद्भावनापूर्ण कारण ही उल्लिखित नहीं किया है जिसके आधार पर अवधि स्पष्ट होती हो और क्षमा करने का कारण उचित प्रतीत होता हो, इसके बावजूद भी विलम्ब को क्षमा करने में त्रुटि की गई है। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 की मृतक माता उर्मिलाबाई को विधिवत् सुनवाई का अवसर दिये बिना गलत पता बतलाकर आवेदक द्वारा अपने पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करवाया गया है।

(2) संहिता की धारा 109–110 के प्रावधानों के विपरीत जाकर पूर्व भूमिस्वामी को सूचना दिये बिना नामान्तरण आदेश पारित कराया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) नामान्तरण नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि कब्जे के आधार पर नामान्तरण का कोई अधिकार नहीं है उसे भी अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह अवैध है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 धारा 5 का आवेदन पत्र विधिसम्मत मानते हुये स्वीकार किया है तथा प्रकरण गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु नियत किया है जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में मूल भूमिस्वामी उर्मिलाबाई की भूमि पर कब्जे के आधार पर संहिता की धारा 189 व 190 के

अन्तर्गत आवेदक के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न की गई थी । तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही के दौरान स्वयं आवेदक के द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह स्वीकार किया गया था कि भूमिस्वामी उर्मिलाबाई न तो गॉव में निवास करती है और न ही उनका सही पता है एवं न ही वह 20–22 वर्षसे गॉव में आई हैं । विभिन्न गवाहों के द्वारा भी इसी आशय के जबाव दिये गये थे । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने आवेदक के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही के दौरान मूल भूमिस्वामी उर्मिलाबाई को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था और ना ही उनका सही पता ज्ञात करने के लिये कोई प्रयास किये गये थे और न ही उनके वारिस की जानकारी ली गई थी । अनावेदकपक्ष के द्वारा मूल भूमिस्वामी उर्मिलाबाई के वारिस होने के आधार पर जानकारी के दिनांक से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है । स्पष्ट है कि जब तहसील न्यायालय में उर्मिलाबाई को कोई सूचना नहीं दी गई थी तो ऐसी स्थिति में उनके वारिसों को कोई सूचना दिये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मानने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः इस संबंध में निगरानी में आवेदक की ओर से समय सीमा के संबंध में जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है, वह औचित्यहीन है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2016 स्थिर रखा जाता है । अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण का गुणदोषों पर दो माह में अंतिम निराकरण करें। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर